कार्यालय–ज्ञाप

कृपया शासनादेश संख्या–1200 /1–10– 2016–12 (34) /03 टी0 सी0–1,राजस्व अनुभाग–10, दिनांक–07नवम्बर 2016 के क्रम में टीप संख्या 2 पर पारित जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 15.11.2016 के अनुपालन में कम्बल क्रय समिति निम्नवत् गठित की जाती है:–

1–अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रतापगढ़।
3–जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी प्रतापगढ़।
4–महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र प्रतापगढ़।
5–अपर उपजिलाधिकारी प्रतापगढ़।

वर्ष 2016–17 में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि,अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के प्रकोप से बचने हेतु गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन उपलब्ध कराया गया है, जिसकें सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2016 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 3.00 बजे कम्बल क्रय समिति की बैठक आहूत की गई है। इच्छुक फर्म जिसमें सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वयतशासी संस्थाओं वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाओं से प्राप्त निविदा को गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा फर्म के प्रबन्धक से प्राप्त सेम्पुल आदि का निरीक्षण कर उक्त क्रय समिति शासनादेश में वर्णित संस्थाओं से उक्त दिनांक को निविदा द्वारा प्राप्त सैम्पल एवं रेट मानक के अनुसार होने का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रय संस्था चयन विषयक आख्या प्रस्तुत करेगी। क्रय संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये सैम्पल कम्बलों की गुणवत्ता एवं मानकता का सत्यापन भी किया जायेगा।

शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार कम्बल की लम्बाई235, से0मी0 चौड़ाई140से0मी0,वजन 2,200 ग्राम एवं निर्धारित मानक के अनुसार जिसमें 70 प्रतिशत ऊन अवश्य होना चाहिए तथा पुराने यार्न का नहीं होना चाहिए एवं उसकी गुणवत्ता की भलीभॉति जॉच करने के उपरान्त एवं आपूर्तिकर्ता संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा तथा यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो विक्री के लिए नहीं है।

(सोम दत्त मौर्य)
अपर जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी,प्रतापगढ़

पत्र संख्या–1325/सी0आर0ए0–दै0आ0–2016 दिनांक16नवम्बर 2016

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–क्रय समिति के सदस्यों को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
3–समस्त तहसीलदार को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु।
4–नाजिर सदर को नोटिस बोर्ड पर चस्प हेतु।
5–जिला सूचना अधिकारी प्रतपगढ़ को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
6–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी प्रतापगढ़ को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

17.11.2016

अपर जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।